न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रकरण संख्या– 39/2024

1. महावीर पुत्र सुरजाराम जाति अहीर साकिन नहराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. दलीप पुत्र सुरजाराम जाति अहीर साकिन नहराना तहसील नोहर
3. सतवीर पुत्र सुरजाराम जाति अहीर साकिन नहराना तहसील नोहर

–अपीलान्टस

बनाम

1. हरिराम पुत्र तुलछाराम जाति नाई निवासी नहराना तहसील नोहर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

–रेस्पोडेन्टस

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

उपस्थितः– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्त अपीलांट।

श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–01

निर्णय दिनांकः– 13/12/2024

अपीलांट महावीर, दलीप, सतवीर पुत्रगण सुरजाराम जाति अहीर साकिन नगराना तहसील नोहर द्वारा विरूद्व निर्णय दिनांक 23.08.2024 प्रकरण संख्या 1/2024 हरिराम बनाम महावीर प्रसाद वगैराह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क बन्यायालय तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा पारित निर्णय अपास्त करवाने बाबत् अपील प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. रेस्पोडेन्ट सं. 1 के द्वारा [illegible] विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया रोही मौजा नहराना के खसरा सं. 25 के पश्चिम तरफ उत्तर से दक्षिण सदामत रास्ता चालु रास्ते का रेस्पोडेन्ट सं. [illegible] रहा है जिसमें अपीलान्ट महावीर, दलवीर, सतवीर, पिता सुरजाराम जाति अहिर द्वारा बाडबदी कर [illegible] कर दिया गया है एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 के द्वारा सदामत से अपने खेत में आवागमन हेतु रास्ता खुलवाया जाने हेतु प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय में पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.01.23 16:12:51 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ़)

2. विचारण न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वंत ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' के तहत दर्ज किया जाकर प्रार्थना पत्र में दर्ज अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं पटवारी हल्का नहराना से रिकार्ड एवं मौका रिपोर्ट प्राप्त कि एवं पटवारी हल्का नहराना कि रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी खसरा सं. 24/1 में जाने के लिए मूमल खसरा सं. 24 की पूर्वी दिशा यानि ख.न. 24/2 के पूर्वी दिशा में स्वीकृत शुदा रास्ता मौके पर चालु है एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा अपने खेत में आवागमन हेतु ख.न. 24/2 से होकर अपने खेत में प्रवेश करता है तथा मौके पर यही रास्ता चालु है एवं ख.न. 25 में आने–जाने हेतु पगडण्डी/रास्ता आवागमन हेतु बहुत लम्बे समय से बन्द है।

3. अपीलान्ट द्वारा माननीय विचारण न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 रोही मौजा नहराना तहसील नोहर के ख.न. 24/1 का खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा नहराना के ख.न. 24/2 का उसका भाई हरिराम पुत्र तुलछाराम खातेदार काश्तकार हे एवं रोही मौजा नहराना तहसील नोहर के मुल ख.न. 24 के पूर्वी दिशा में स्वीकृत शुदा रास्ता है तथा एवं ख.न. 24 के विभाजन दोनो भाईयों ने सहमति से करवा लिया है एवं रेस्पोडेन्टस सं. 1 अपने खेत में आने–जाने हेतु अपने भाई के खेत में से होकर जाता है एवं ख.न. 25 में से रेस्पोडेन्ट सं. 1 का कभी भी आवागमन नही रहा है एंव प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे एंव माननीय विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 23.08.2024 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट निम्न आधार पर अपील प्रस्तुत कर रहा है–

(क) आक्षेपित निर्णय दिनांक 23.08.2024 पूर्णतः गलत विधि विरूद्व एंव असमान एवं एकतरफा होने के कारण आधार पर काबिल निरस्तनीय है प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय की सलग्न अपील मिमो है।

(ख) अपीलान्ट की कृषि भूमि खसरा सं. 25 में से कभी भी रेस्पोडेन्ट सं. 1 का आवागमन नही रहा है एंव पटवारी हल्का नहराना द्वारा स्वंय मौके पर जाकर रिपोर्ट पेश की गई कि मूल खसरा सं. 24 की पूर्वी दिशा में स्वीकृत शुदा रास्ता है एवं रेस्पोडेन्ट सं. 01 हमेशा से ही ख.न. 24/2 में से अपने खेत में आवागमन कर रास्ता चालु है इसलिए [illegible]ट सं. 1 को अपने खेत में आने–जाने हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है [illegible] बावजुद अपीलान्ट के खेत में से कभी भी रास्ता का आवागमन ही नही रहा है। उसके बावजुद अपीलान्ट के खेत में से रास्ता/पगड़डी खुलवाने के आदेश पारित किये गये है जो कि अपास्तनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.01.23 16:12:51 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

(ग) रेस्पोडेन्ट सं. 1 को सर्वप्रथम रास्ता खुलवाने का प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत में प्रस्तुत करना चाहिए था एवं माननीय विचारण न्यायालय को भी प्रार्थना पत्र ग्राम पचायत को भिजवाना चाहिए था परन्तु एंव ग्राम पंचायत द्वारा 45 दिन में प्रार्थना पत्र का निस्तारण नही करती है तब माननीय विचारण न्यायालय को प्रार्थना पत्र पर सुना जाना चाहिए था ऐसी स्थिति में तहसीलदार राजस्व नोहर को इस प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार उत्पन भी नही हुआ है माननीय विचारण न्यायालय द्वारा पारित विधि की अवहेलना में पारित किय गया गया है जो कि अपास्तनीय है।

(घ) पटवारी हल्का नहराना द्वारा मौका रिपोर्ट एंव गांव के मौजिस व्यक्तियों द्वारा पटवार हल्का रिपोर्ट पर हस्तान्तरण किये गये कि अपीलान्ट के खेत में से रेस्पोडेन्ट सं. 1 का कभी भी आवागमन नही रहा ह एवं पटवारी हल्का नहराना द्वारा नजरी नक्शा में स्पष्ट रूप से दर्शायार गया है कि जहाँ से रेस्पोडेन्टस सं. पगडंडी बता रहा है वह गांव नहराना से वन विभाग चिपकता है तथा वन विभाग से जाकर अपीलान्ट के खेत में से होकर अपने खेत में जाना रेस्पोडेन्ट सं. 1 बतलता है जबकि वहा से कभी भी रास्ता पर आवागमन नही रहा है गावं नहराना से चलकर मूल खसरा सं. 24 तक स्वीकृत शुदा रास्ता है इसलिए रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा प्रार्थना पत्र में कतई मनगढत कथन दर्ज किये गये है। जो कि अपास्तनीय है।

(ड़) अपीलान्ट की भूमि में कभी भी कदिम्बी रास्ता चालु नही रहा है ना ही रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं माननीय माननीय विचारण न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का नहराना कि रिपोर्ट पर कतई गौर नही किया गया एवं तहसीलदार को आम स्वीकृत शुदा रास्ता को खुलवाने का अधिकारी है जबकि जजहहॉ से रास्ता स्वीकृत नही हे उसे खुलवाने के अधिकार नही है एवं खेत का रास्ता मन्जुर करवाने के लिए प्रार्थना पत्र धारा 251 'क' के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकरी राजस्व नोहर का अधिकार क्षेत्र है जिसमें न्यायालय द्वारा भूमि के बदले भूमि अन्यथा बाजार भाव से किमत का आदेश किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.01.23 16:12:51 IST
Reason: SelfAttested

(च) तहसीलदार नोहर ने अपने क्षेत्राधिकार के अधिकारो का दुरूस्त कर निर्णय पारित किया गया है, जो अपास्तनीय है।

5. अन्य वजुहात वरवक्त बहस अर्ज किये जायेगे।

6. अपील अपीलान्ट न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार की है एवं अन्दर मियाद है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर माननीय माननीय विचारण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.08.2024 तहसीलदार राजस्व नोहर को अपास्त फरमाया जावे।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर से अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या–01 की ओर से श्री महेशचन्द्र शर्मा एडवोकेट उपस्थित हुये। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि रोही मौजा नहराना तहसील नोहर के मूल खसरा नं0 24 जो रेस्पोडेन्ट संख्या –01 के पिता तुलछाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज था। जो तुलछाराम के वारिसान में खाता विभाजन के पश्चात 24/1 एंव 24/2 में विभाजित हुआ। राजस्व रिकार्ड में खसरा नं0 24 में स्वीकृत शुदा रास्ता हैं। हल्का पटवारी के रिपोर्ट के अनुसार मूल खसरा नं0 25 से अवागमन खसरा नं0 24 हेतु कभी नहीं रहा। खसरा नं0 24 का सहमति से खाता विभाजन किया गया। रेस्पोडेंन्ट संख्या–01/प्रार्थी हरिराम द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तहसीलदार नोहर के समक्ष प्रस्तुत किया गया लेकिन तहसीलदार नोहर द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'क' में परिवर्तित कर दिया गया। रास्ता संबधि प्रकरण के प्रार्थना–पत्र ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया जाता है। यदि ग्राम पंचायत रास्ता संबधी प्रार्थना–पत्र का 45 दिवस में निस्तारण नहीं करती है तो तहसीलदार उक्त रास्ता संबधी प्रार्थना–पत्र का निस्तारण कर सकता है। इस हेतु निम्न दृष्टांत प्रस्तुत किये–

1. RBJ 2010 page no. 641 to 643
2. RRT 2019(1) Page No. 424 To 428

तहसीलदार नोहर द्वारा दिनांक 23.08.2024 को पारित आदेश को निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट रिमांड फरमाई जावे।

अधिवक्त रेस्पोडेन्ट संख्या–01 ने अपनी बहस में कथन किया कि हल्का पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट में बताया गया स्वीकृत शुदा रास्ता मौके पर चालू नहीं है। पुनः मौका रिपोर्ट ली जाकर लगभग 100 वर्षो से चालू [illegible] को खोला जावे। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.01.23 16:12:51 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का अध्ययन किया गया। हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार हरिराम पुत्र तुलछाराम को खसरा नं0 24/1 में जानें के लिए मूल खसरा संख्या 24 के पूर्व दिशा में स्वीकृत शुदा रास्ता है जो कि वर्तमान में चालू है। वर्तमान में मूल खसरा नं0 24 का विभाजन हो गया है जो कि 24/1 व 24/2 है। खसरा नं0 24/2 के पूर्व दिशा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

में स्वीकृत शुदा रास्ता चालू है। तहसीलदार नोहर द्वारा दिनांक 23.08.2024 को पारित निर्णय के अनुसार हरिराम को अपनी जोत रौही मौजा नहराना के खसरा नं0 24/1 में पहुंच हेतू खसरा नं0 25 की पश्चिमी सींव के तरफ से उतर से दक्षिण सदामत से चालू रास्ता (प.ह. रिपोर्ट नक्शानुसार) जो वर्तमान में सीव पर बाड़बंदी कर रोका गया है, को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत खुलवाया जाना उचित है।

न्यायालय के मत में हल्का पटवारी की रिपोर्ट एंव अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर द्वारा दिनांक 23.08.2024 को पारित निर्णय परस्पर विरोधाभाषी है क्योंकि हल्का पटवारी द्वारा खसरा नं0 24/1 में जानें हेतु मूल खसरा संख्या 24 के पूर्व दिशा में स्वीकृत शुदा रास्ता है। वर्तमान में मूल खसरा नं0 24 का विभाजन हो गया है, जो कि 24/1 व 24/2 है। राजस्व रिकार्ड में स्वीकृतशुदा रास्ता वर्तमान में चालू बताया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर द्वारा खसरा नं0 24/1 में जानें हेतु खसरा नं0 25 की पश्चिमी सींव के तरफ से उतर से दक्षिण सदामत से चालू रास्ता, जो वर्तमान में सीव पर बाड़बंदी कर रोका जाना बताया है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर द्वारा दिनांक 23.08.2024 को निर्णय पारित करनें में भूल कारित की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.08.2024 को अपास्त किया जाता है एंव पत्रावली इस निर्देश के साथ तहसीलदार नोहर को प्रतिप्रेषित(Remand) की जाती है कि विवादित रास्ते का मौका निरिक्षण समस्त पक्षकारान की उपस्थिति में किया जाकर एंव समस्त पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा मूल पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 13/12/24 को सरेइजलास सुनाया गया।

13.12.24

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.01.23 16:12:51 IST
Reason: SelfAttested